आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2657 **दिनांक: 19 दिसंबर, 2025**

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसरण में, यह सूचित किया जाता है कि अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI460058) को आरईसी डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल"- आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार उक्त कंपनी आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी भी है। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक -1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

“अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड” नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	लक्ष्य इकाई का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे आकार, टर्नओवर आदि।	नामः अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: ₹5,00,000/- भुगतान की गई पूंजी: ₹5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है)। महाराष्ट्र सरकार ने 3 अक्टूबर, 2025 के आदेश के माध्यम से एक अंतर-राज्य पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को 400/220 केवी जीआईएस अंबरनाथ (जिला ठाणे) की स्थापना के लिए बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 19 दिसंबर, 2025 को शामिल किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, उक्त कंपनी को सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाएगा।
2.	क्या यह अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के दायरे में आएगा और क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहण की जाने वाली इकाई में कोई रुचि या हित है? यदि हां, तो ब्याज की प्रकृति और उसका विवरण और क्या यह " स्वतंत्र संव्यवहार " के आधार पर किया गया है?	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष है। प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों की अपनी शेयरधारिता की सीमा के अलावा अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कोई अन्य रुचि या हित नहीं है।
3.	वह उद्योग जिससे प्राप्त की जा रही इकाई संबंधित है	विद्युत क्षेत्र।
4.	अधिग्रहण की वस्तुएं और प्रभाव (लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, यदि इसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के व्यवसाय की मुख्य रेखा से बाहर है)	कंपनी का निगमन 400/220 केवी जीआईएस अंबरनाथ (जिला ठाणे) की स्थापना के लिए शामिल किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसार शामिल किया गया है जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय अवधि	लागू नहीं
7.	क्या नकद प्रतिफल है या शेयर स्वैप और उसी का विवरण।	इक्विटी शेयर पूंजी का 100% नकद में अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयरों का अधिग्रहण किया जाता है।	100% इक्विटी शेयर का अभिदान।
9.	अधिग्रहित शेयरधारिता / नियंत्रण का प्रतिशत और / या अधिग्रहित शेयरों की संख्या	100%

10.	अधिग्रहित उत्पादों/व्यापार की रेखा, निगमन की तारीख, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, जिस देश में अधिग्रहित इकाई की उपस्थिति है और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में) के संदर्भ में अधिग्रहित इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि	आरईसीपीडीसीएल अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।